सत्र परीक्षण 1158 / 2006
उ0प्र0 राज्य बनाम राजू आदि
सत्र परीक्षण संख्या 1159 / 2006
उ0प्र0 राज्य बनाम महेश आदि
मु0अ0सं0 31 / 2006
थाना मड़ियांव, लखनऊ

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

उपस्थितः नीतू पाठक, एच0जे0एस0

UPLK010001712006

सत्र परीक्षण संख्या–1158 सन 2006

उ0प्र0 सरकार ....अभियोगी

बनाम

1–राजू पुत्र फूल चन्द्र
2–जुग्गी पुत्र फूल चन्द्र
3–फूल चन्द्र (मृतक) पुत्र स्व0 गुलजारी, निवासीगण ग्राम मानखेड़ा, थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ।

मु0अ0सं0– 31 / 2006
धारा–147,302 / 149,201,404,120बी भा0दं0सं0
धारा–3(2)v एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट
थाना–मड़ियांव, जिला लखनऊ।

UPLK010001642006

सत्र परीक्षण संख्या–1159 सन 2006

उ0प्र0 सरकार ....अभियोगी

4–महेश पुत्र फूल चन्द्र यादव,निवासी ग्राम मानखेड़ा, थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ।
5–शत्रोहन यादव पुत्र स्व0 दुर्गा,
6–श्रीमती सावित्री देवी पत्नी शत्रोहन यादव निवासीगण ग्राम सिरगामऊ, थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ।

................अभियुक्तगण

मु0अ0सं0– 31 / 2006
धारा–147,302 / 149,201,404,120बी भा0दं0सं0
धारा–3(2)v एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट
थाना–मड़ियांव, जिला लखनऊ।

निर्णय

1— मुकदमा अपराध संख्या 31/2006 में अभियुक्तगण राजू पुत्र फूल चन्द्र, जुग्गी पुत्र फूल चन्द्र, फूल चन्द्र (मृतक) पुत्र स्व0 गुलजारी, महेश पुत्र फूल चन्द्र यादव, निवासीगण ग्राम मानखेड़ा, थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ, शत्रोहन यादव पुत्र स्व0 दुर्गा व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी शत्रोहन यादव निवासीगण ग्राम सिरगामऊ, थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ के विरूद्ध धारा 147, 302, 201, 404, 120बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)अ एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के तहत अपराध में थाना मड़ियांव, जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर उनका विचारण किया गया।

2— दौरान विचारण अभियुक्त फूलचन्द्र की मृत्यु हो ने के कारण आदेश दिनांकित 14.05.2024 द्वारा वाद की कार्यवाही उनके विरूद्ध उपशमित की गयी।

3— संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रघुवीर प्रसाद द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला लखनऊ को दिनांक 13.01.2006 को तहरीर **प्रदर्श क—1** इस अभिकथन के साथ दी गयी कि वादी का छोटा भाई किशन पासी उम्र 25 वर्ष की दिनांक 09.01.2006 को दिन में 01.00 बज वादी के गांव की ही पत्नी शत्रोहन यादव वादी के घर से अपने घर बुला ले गयी ओर अपनी पुत्री कु0 बबली, जो अपने ननिहाल में थी, अपने पति शत्रोहन यादव की सलाह से अपने को गंभीर बीमार का बहाना बताकर अपनी लड़की कु0 बबली को लिवा लाने के लिए मोटर साइकिल से भेजा था। उसके बाद वादी का भाई नहीं लौटा। थाना मड़ियांव के अंतर्गत एक लाश मिलने पर वादी अपने परिवार जनों के साथ लाश को पहचानने गया तो देखा कि वह लाश वादी के भाई किशन की है। वादी को पूर्ण विश्वास है कि उसके भाई की हत्या शत्रोहन व उसकी पत्नी की साजिश से शत्रोहन के साले राजू, महेश, जुग्गी व फूलचन्द निवासी मानखेड़ा ने करके लाश फेंकी है ओर मोटर साइकिल हीरोहॉण्डा को गायब कर दिया। अतः अनुरोध है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज करके प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4— उक्त प्रार्थना पत्र/तहरीर **प्रदर्श क—1** के आधार पर थाना मड़ियांव में धारा 147, 302/149, 201 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)अ एससी/एसटी(पी0ए0) ऐक्ट के अपराध के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 31/2006 पंजीकृत हुआ। विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण राजू, जुग्गी, फूल चन्द, के

विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 302, 201, 404, 120बी भा0दं0सं0 व धारा 3(2)अ एससी/एसटी ऐक्ट में आरोप पत्र **प्रदर्श क–5** एवं महेश, शत्रोहन यादव व श्रीमती सावित्री देवी के विरूद्ध धारा–147, 302, 201, 404, 120बी भा0 दं0 संहिता एवं धारा–3(2)v एससी/एसटी ऐक्ट के अपराध में आरोप पत्र **प्रदर्श क–12** न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तगण राजू, जुग्गी व फूलचन्द्र के संबंध में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया और मामले को आपराधिक वाद संख्या 8919/2006 के रूप में दर्ज किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.10.2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के आदेशानुसार मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। तदुपरांत मामले को **सत्र परीक्षण संख्या 1158/2006** विरूद्ध अभियुक्तगण राजू, जुग्गी, फूल चन्द्र (मृतक) पंजीकृत हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 28.09.2006 द्वारा अभियुक्तगण शत्रोहन, सावित्री एवं महेश का मामला सत्र सुपुर्द किया गया तथा **सत्र परीक्षण संख्या 1159/2006** विरूद्ध अभियुक्तगण महेश, शत्रोहन यादव व श्रीमती सावित्री देवी के रूप में दर्ज किया गया और श्रीमान् सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार मामले को इस न्यायालय में अंतरित किया गया। चूंकि दोनों मामले एक ही मु0अ0सं0 31/2006 से संबंधित थे। अतः आदेश दिनांकित 07.08.2025 द्वारा दोनों वादों को समेकित किया गया एवं सत्र परीक्षण संख्या 1158/2006 को अग्रणी वाद बनाया गया।

5– अभियुक्तगण राजू, जुग्गी व फूलचन्द्र को न्यायालय में तलब किया गया। दिनांक–03.04.2010 को अभियुक्तगण राजू, जुग्गी व फूलचन्द के विरूद्व धारा–302/149, 201, 404, 120बी एवं धारा 3(2)V एससी/एसटी ऐक्ट तथा दिनांक 15. 11.2019 को अभियुक्तगण महेश, शत्रोहन यादव व श्रीमती सावित्री देवी के विरूद्ध धारा 147, 302/149, 201, 404, 120बी एवं धारा 3(2)V एससी/एसटी ऐक्ट में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया और विचारण की याचना की।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू0–1 वादी रघुवीर, पी0डब्लू0–2 राम आसरे, पी0डब्लू0–3 राजू, पी0डब्लू0–4 राम औतार, पी0डब्लू0–5 दुर्गा प्रसाद, पी0डब्लू0–6 राम नरेश, पी0डब्लू0–7 सुखीराम, पी0डब्लू0–8 गोपीचन्द्र, पी0डब्लू0–9 डा0 रवीन्द्र कुमार गुप्ता, पी0डब्लू0–10 बृजेश कुमार यादव, पी0डब्लू0–11 सुरेश कुमार यादव, पी0डब्लू0–12 तहसीलदार सिंह, पी0डब्लू0–13 शशि पाण्डेय व**

पी0डब्लू0–14 इजहार हुसैन खान को मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है।

7– अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में **तहरीर प्रदर्श क–1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2, पंचनामा प्रदर्श क–3, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–4, आरोप पत्र प्रदर्श क–5, फर्द प्रदर्श क–6, नक्शा नजरी जहां पर अभियुक्त द्वारा मृतक की मोटर साइकिल छिपाना बताया गया, प्रदर्श क–7, पुलिस प्रपत्र सं0 13 प्रदर्श क–8, फोटोनाश प्रदर्श क–9, नमूना मोहर नमूना मोहर प्रदर्श क–10, नक्शा नजरी जहां से मृतक का शव बरामद हुआ प्रदर्श क–11, आरोप पत्र प्रदर्श क–12** प्रस्तुत किए गये हैं।

8– अभियुक्तगण का बयान धारा–313 द0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये वादी द्वारा गलत मुकदमा दर्ज कराना कहा गया है।

9– अभियुक्तगण की ओर बचाव में साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

10– मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

11– अभियुक्तगण राजू, जुग्गी, फूलचन्द्र, महेश, शत्रोहन व सावित्री के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 09.01.2006 को समय एक बजे ग्राम तपहरी थाना मड़ियाव में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा के भाई किसन की षड़यंत्र कारित करते हुए सामान्य उद्‌देश्य के अग्रसरण में हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्‌देश्य से उसकी लाश को उजरयारी में गेंहू के खेत में फेंक दिया तथा मृत व्यक्ति की मोटरसाइकिल जो मृत्यु पूर्व उसके कब्जे में थी, का बेईमानी से दुर्विनयोग किया।

12– इन आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 साक्षीगण परीक्षित किए गए है।

13– पी0डब्लू0–1 रघुवीर (वादी) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''घटना वर्ष 2006 की है। समय व दिन मुझे याद नहीं है। किशन मेरा छोटा भाई है। वह कहीं चला गया था। जब वह 2–3 दिन बाद घर नहीं आया तब मैं खोजबीन करने लगा था। उस दौरान मुझे पता चला कि थाना मड़ियांव में एक लाश मिली है, जिसे पहचानने के लिए मैं थाना मड़ियांव गया था तो पता चला कि लाश मेडिकल

कालेज पोस्टमार्टम के लिए गई है। वहां जा कर पहचाना तो मेरे भाई किशन का शव है, मुझे उस वक्त किसी पर शंका नहीं हुई। लाश को लेकर हम अपने घर आये और दाह संस्कार किया। दूसरे दिन एक प्रार्थना पत्र प्रधान ने टाईप कराया, जिस पर मैंने अपना नि0 अंगूठा लगाया तथा प्रा0 पत्र को लेकर प्रधान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया, जिस पर मुकदमा कायम हुआ। जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। प्रार्थना पत्र में मैंने यह नहीं लिखवाया था कि दिनांक 09.01.2006 को दिन में 01.00 बजे शत्रोहन की पत्नी मेरे छोटे भाई किशन को बुलाकर अपने घर ले गई। विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मेरे भाई की हत्या किसने किया यह जानकारी मुझे आज तक नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और न्यायालय की अनुमति से साक्षी से **जिरह** की गयी, जिसमें साक्षी द्वारा कथन किया गया कि टाईपशुदा तहरीर प्रधान से टाइप कराया था। तहरीर मुझे पढ़कर सुनाई नहीं गई थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तहरीर में मेरे छोटे भाई किशन को दिनांक 09.01.2006 को दिन में 01.00 बजे प्रार्थी के गांव के शत्रोहन की पत्नी द्वारा अपने घर बुलाया गया और बबली को उसके ननिहाल मानखेड़ा से बुला कर लाने के लिए मोटर साइकिल से भेजने व प्रार्थी के भाई की हत्या शत्रोहन व उसकी पत्नी की साजिश से शत्रोहन के साले राजू, महेश, जुग्गी व फूलचन्द्र निवासी मानखेडा ने करके लाश को व मोटर साइकिल को गायब कर दिये, वाली बात कैसे लिखी है, यह बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने यह बात नहीं लिखाई थी। मैंने केवल तहरीर पर नि0 अंगूठा लगा दिया था। उसे किसी नेनहीं बताया कि तहरीर में क्या–क्या बात लिखी है। मेरे भाई की हत्या हुई थी। मैं परेशान था। इसलिए तहरीर बिना पढ़वाये तहरीर पर नि0 अगूंठा लगा दिया था। तहरीर मैं कप्तान के यहां लेकर नहीं गया था। प्रधान ही लेकर गये थे। प्रधान का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है। मुझे शत्रोहन, उनकी पत्नी सावित्री, राजू, महेश, जुग्गी व फूलचन्द्र पर कोई शक नहीं था। यह कहना गलत है कि इन्हीं मुल्जिमान ने साजिश करके हत्या करा दिया है। यह भी कहना गलत है कि मेरे भाइ किशन का अवैध संबंध शत्रोहन की पुत्री बबली से था। यह भी कहना गलत है कि उसी लड़की के चलते मुल्जिमान उपस्थित ने मेरे भाई किशन की हत्या कर दी। घटना के वक्त मेरा भाई किशन शादीशुदा था। शत्रोहन की हम लोगों की कोई रंजिश नहीं थी। घटना के एक दिन पूर्व मेरा भाई मानखेड़ा नहीं गया था। किसी ने उसको मानखेड़ा नहीं

भेजा था। यह कहना गलत होगा कि शत्रोहन की पत्नी मानखेड़ा मेरे भाई को भेजा था। शत्रोहन के साले कितने हैं, उनका नाम क्या है, मैं नहीं जानता हूॅ। मुझे आज तक नहीं जानकारी हो पाई कि मेरे भाई की हत्या किसने की है। मेरा कोई बयान नहीं लिया गया। मैंने किसी पुलिस को बयान नहीं दिया था। शत्रोहन के घर से हम लोगों की कोई रंजिश नहीं थी। **बचाव पक्ष** द्वारा की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया गया है मेरा भाई मृतक किशन शराब पीता था। मेरा भाई इससे पहले भी कई बार घर से बिना बताये चला जाता था तथा एक दो दिन बाद वापस आ जाता था। इसलिए हम लोगों ने पुलिस में कोई रिपोर्ट गुमशुदगी नहीं लिखाई थी। जब मेरे भाई की लाश मुझको सौंपी गई तो न तो पुलिस ने न ही अस्पताल में किसी ने कहीं मुझसे हस्ताक्षर नहीं कराये थे। मेरे भाई की लाश बिना लिखा पढ़ी के दे दी गई थी। मैंने किसी के खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करायी थी, न ही कोई तहरीर दी थी। मेरी व मेरेभाई की गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं है। मैंने तहरीर पर अपना अंगूठा इसलिए लगाया था कि मुझे बताया गया था कि ये रिपोर्ट दे रहें हैं, जिसमें तुम्हारे भाई को मारने की जांच हो जायेगी। मैंने किसी के खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करायी थी, न ही कोई तहररी दी थी। मेरा रंजिश नहीं है।

14— पी0डब्लू0—2 राम आसरे ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि ''घटना को हुए 18 वर्ष हो चुके हैं। मेरे भाई का शव मेडिकल कालेज में चीर घर में पड़ी होने की सूचना मिलने पर मैं व मेरा भाई तथा परिवार के लोग गये। वहां पर शव का पहचान किये तो वहां लाश मेरे भाई की थी। घटना के पहले मेरा भाई मोटर साइकिल लेकर कहीं गया था। मुझे नहीं पता कि वह कहां गया था। मुझे यह नहीं पता है कि मेरे भाई की हत्या राजू, जुग्गी, फूलचन्द्र व महेश ने ही किया था। इन लोगों से मेरे भाई की कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरा भाई जब मेरी मोटर साइकल लेकर गया तो दो दिन तक वापस नहीं आया तो हम लोगों ने तलाश किया था। उसके जाने के तीसरे दिन बाद हम लोगों को पता चला कि थाना मड़ियांव के क्षेत्र में पुलिस को एक अज्ञात लाश मिली है, की सूचना पर हम लोग चीर घर जा कर अपने भाई की लाश की पहचान किया था। मेरे भाई की हत्या किन लोगों ने किया तथा क्यों किया, मुझे जानकारी नहीं है।'' अभियोजन द्वारा साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और न्यायालय की अनुमति से साक्षी से **जिरह** की गयी, जिसमें

साक्षी द्वारा कथन किया गया कि घटना के पहले मेरा भाई शत्रोहन की आटा चक्की पर काम करता था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मेरे भाई के अवैध संबंध शत्रोहन की लड़की बबली से था या नहीं । घटना के वक्त मेरा भाई शादीशुदा था। शत्रोहन की बीवी सावित्री ने मेरे भाई को मानखेड़ा नहीं भेजा था तथा मैंने भी अपने भाई को मानखेड़ा नहीं भेजा था। मेरे भाई ने घर से जाते समय यह नहीं बताया था कि मानखेड़ा जा रहा है। शत्रोहन से मेरे भाई की कोई दुश्मनी नहीं है। घटना से पहले मेरे भाई कभी मानखेड़ा गया था या नहीं मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मेरा भाई घर से जाते वक्त मुझसे यह बताया था कि सावित्री मुझे अपनी लड़की को लाने को मानखेड़ा, भेजी थी। यह भी कहना गलत है कि अपने भाई की लाश मिलने के बाद हम लोगों को शंका हो गयी थी, कि शत्रोहन व उनकी पत्नी की साजिश से लड़की बबली से अवेध संबंध को लेकर राजू, जुग्गी, महेश व फूलचन्द्र ने मेरे भाई की हत्या कर दिया। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिल जाने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ। **बचाव पक्ष** द्वारा की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया गया है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना कैसे घटी तथा किसके द्वारा की गयी। मेरे भाई की किसी से गांव में कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा भाई किशन चरित्र का अच्छा इंसान था। मेरा भाई मेरी मोटर साइकिल लेकर कहां गया था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं मजदूरी करता हूँ तथा घटना के वक्त भी मजदूरी करने गया था।

15— पी0डब्लू0—3 राजू ने सशपथ बयान में कथन किया कि ''घटना 15—16 साल पहले की है। घटना रात की हैं, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मैंने घटना होते नहीं देखा। घटना रात की थी। मैं अपने घर पर सो रहा था। अभियुक्तगण के आज पहली बार नाम सुना है। इससे पहले मैं इनको जानता भी नहीं हूॅ। अभियुक्तगण को मैंने कोई घटना कारित करते हुए नहीं देखा। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।'' अभियोजन द्वारा साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और न्यायालय की अनुमति से साक्षी से **जिरह** की गयी, जिसमें साक्षी द्वारा कथन किया गया कि मैं घ टना स्थल पर नहीं था, इसलिए जो सही बात वह बता रहा हूॅ। न्यायालय में हाजिर मुल्जिमानों को मैने कोई घटना कारित हुए नहीं देखा है।

16— पी0डब्लू0—4 राम औतार ने सशपथ बयान में कथन किया कि ''घटना को 17—18 साल हो चुके हैं। मृतक किशन की हत्या किसने की, मैंने नहीं देखा है।

पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कहा है कि वह घटना पर नहीं था।''

17– पी0डब्लू0–5 दुर्गा प्रसाद द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि ''मृतक किशन की मृत्यु कैसे हुई मैं नहीं जानता हूँ। किशन मेराममेरा भाई है। उसकी लाश सीतापुर रोड़ पर मिली थी। उसको किसने मारा मुझे नहीं पता। मैंने उसके साथ कोई घटना होते नहीं देखा। मैं अभियुक्तगण राजू, जुग्गी व फूलचन्द्र को नहीं जानता हू।'' अभियोजन द्वारा साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और न्यायालय की अनुमति से साक्षी से **जिरह** की गयी, जिसमें साक्षी द्वारा कथन किया गया कि मैं जानता हूँ कि न्यायालय में झूठी गवाही देना अपराध है। मैंने घटना होते नहीं देखा है।

18– पी0डब्लू0–6 राम नरेश, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''घटना 15–16 साल पहले की है। त्रिलोकी का खेत मड़ियांव क्षेत्र में है। हमें पता चला कि वहां त्रिलोकी के खेत में लाश पड़ी है। मैं भी वहीं देखने गया था। किसी ने लाश को वहां पहचाना नहीं था। हमारे सामने पुलिस ने लिखा पढ़ी नहीं की थी। बाद में एक कागज पर मेरे दस्तखत करा लिये थे।'' अस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि मेरे सामने दरोगा जी ने कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी। दरोगा जी ने थाने पर बुलाकर मेरे हस्ताक्षर करा लिये थे।

19– पी0डब्लू0–7 सुखीलाल, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि ''घटना आज से 16–17 पहले की है। मैं मृतक किशन को गांव में रहने के नाते जानता हूँ। किशन की हत्या हुई थी। दिनांक 09.01.2006 को जिस दिन घटना घटित हुई है उस दिन हम बाजार गये थे। वहां से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन तीनों मुल्जिमानों को देखा था। पूछा कि यहां क्या कर रहे हो। किशन से हमारी मुलाकात होती रहती थी। घटना वलो दिन मुल्जिमानों के साथ किशन मुझे मिले थे। हम लोग अपने घर चले आये। बाद में पता चला कि किशन की हत्या हो गयी है। शत्रोहन को मैं जानता हूं, क्योंकि वह भी गांव के रहने वाले है। बाद में पता चला कि शत्रोहन व उसकी पत्नी किशन पर शक करते थे कि उनकी लड़की से अवैध संबंध है। इसी कारण मुल्जिमानों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।'' अभियुक्तगण की ओर से की गयी **जिरह** में साक्षी ने कथन किया है कि उक्त घटना में मैंने किसी मुल्जिम को मारतेपीटते नहीं देखा। किसने किसको मारा, मैं नहीं जानता न मैंने कोई घटना देखी न ही मैंने दरोगा जी को कोई बयान दिया था। मैंने मुख्य परीक्षा में लिखा गया है

कि मैं बाजार से अपने घर वापस आ रहा था तो रास्ते में तीन मुल्जिमानों वाली बात लिखी गई, यह गलत है। मृतक किशन को किसने मारा था, मैं नहीं बता सकता।

20— पी0डब्लू0—8 गोपी चन्द्र, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''लगभग 8 साल पहले जनवरी के महीने में त्रिलोकी यादव के खेत में एक अज्ञात पुरुष की शव के पड़े होने की सूचना पर मैं भी वहीं गया था। काफी लोग जमा थे कोई भी शव को पहचान नहीं सका था। मड़ियांव थाने के दरोगा जी ने शाम के अंधेरे में पेट्रोमैक्स की रोशनी में पंचायतनामा मेरे व अन्य पंचों के सामने लिखा था। मुझे भी पंच बनाया था। पंचायतनामा पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा पत्रावली में मेरे सामने हैं। मैं अपने हस्ताक्षर तस्दीक करता हूं।'' **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया है कि पंचायतनामा लिखने समय यह नहीं मालूम था कि शव किस व्यक्ति है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिखा था। बयान लेने वाले दरोगा, विवेचनाधिकारी थे। पंचायतनामा भरने में कितने दिन बाद बयान लिया था मुझे नहीं मालूम। यह सही है कि पंचायतनामा भरते समय मुझसे कोई राय नहीं ली गयी थी।

21— पी0डब्लू0—9 डा0 रवीन्द्र कुमार गुप्ता, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''दिनांक 11.01.2006 को मैं ई0एन0टी0 सर्जन के पद पर डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी शव विच्छेदन हेतु के0जी0एम0यू0 मर्चरी में लगी थी। जहां पर मैंने एक अज्ञात पुरूष आयु लगभग 32 वर्ष जिसके शव को थाना मड़ियांव के द्वारा भेजा गया था। सी0पी0 2058 लोटूराम साहनी, थाना मड़ियांव लेकर आया था और शव की शिनाख्त किया था। मैंने उस दिन 04.00 पी0एम0 पर शव का शव विच्छेन किया था। <u>**वाहय परीक्षण**</u> औसत कदकाठी का व्यक्ति था। रिगर मोर्टिस शरीर के ऊपरी हिस्से से खत्म हो गयी थी और नीचे के अंग में आंशिक रूप से थी। पोस्टमार्टम स्टैनिंग पीछे की तरफ थी। मृतक का चेहरा, नाखून, होठ, जीभ नीलगू लिये हुए थे। शरीर की लम्बाई 168 सेमी, सिर 54 सेमी, पैर का तलवा 22 सेमी x 7 सेमी। सिर के बाल 3 सेमी। मूछे 1/2 सेमी, दाढी 0.1 सेमी। आक्जलरी हेयर 3 सेमी ओर प्यूबिक हेयर 3 सेमी और सभी बाल काल रंग के थे। पेनिस खतना नहीं था। शरीर का रंग गोरा रंगा था। <u>**शरीर पर निम्न चोटें मौजूद थी**</u> 1—गर्दन पर लिगेचर का ट्रासवर्से निशान मिली, जो 34 सेमी x 4 सेमी थी। गले पर थायरोड कार्टिलेज के नीचे गले के नीचे चारो तरफ दाहिने व बायें कान से 6—6 सेमी नीचे थी। लिगेचर मार्क कान्टीन्यूस था तथा लिगेचर मार्क में ग्रुव का बेस मुलायम और

लाल रंग का था। इसको काटने पर sub lutenous tissue edymesis थी। Laryx और 1 से 4 नंबर के Trachealring fractured थी।

2–सिर के दाहिने तरफ कान के ठीक ऊपर निलगू चोट का निशान था, जिसकी नाप 9 सेमी x 6 सेमी थी। इसको काटकर देखने पर अंदर के ऊतको में इकोमाइसिस थी।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

मस्तिष्क की झिल्लियां कन्जस्टेड थी ओर मस्तिष्क भी कन्जस्टेड था। फेफडे और Larynx trachea bronchi, दोनों फेफड़े peritoardium और हृदयका बयां भाग खाली था और दाहिना भरा हुआ था। पेट में पेरीटोनियम कन्जस्टेड था और अमाशय में 120 मिली द्रव्य पदार्थ था। मुकोस नार्मल थी। छोटी आंत में पर्चा हुआ खाना और गैस, बड़ी आंत में मल और गैस थी। लीव, पैनक्रियाज, स्पीलीन, दोनों गुर्दे कन्जस्टेड थे। यूरेनियरी ब्लेडर खाली था। मृत्यु का कारण Strangulation के द्वारा Asphyxia से हुई, जो लगभग डेढ दिन पूर्व की थी। शव विच्छेदन के पश्चात ओरीजनल पी0एम0 रिपोर्ट 8 पुलिस पेपर और कपड़ों को सील बंडल जिसमें एक पैंट, एक अंदर वियर, एक बनियान, एक शर्ट, एक स्वेटर, पीली धातू का एक रिंग व सफेद धातु का एक रिंग संबंधित कां0 को प्राप्त करा दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली है, जो मेरे सामने है। मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं तस्दीक करता हूं। जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।'' **प्रतिपरीक्षा में साक्षी** ने कथन किया है कि शव विच्छेदन तक यह नहीं ज्ञात हो पाया था कि मृतक शव किसका है। शव विच्छेदन करने से पूर्व मृतक के शरीर पर जो चोटे पाई गयी थी। वह लगभग एक–डेढ दिन पुरानी थी। फिर कहा कि मृतक की मृत्यु लगभग एक–डेढ दिन पुरानी थी। मृतक के शरीर पर जो चोटे थी वह मृत्यु के समय के ही थी। एक्जेक्ट टाइम नहीं बता सकता। यह सही है कि जो चोटे मेरे द्वारा दर्शायी गयी है वह चोटें लूट–पाट करने के समय पहुंचाई जा सकती है। यह सही है मैं नहीं बता सकता कि कितने लोगों के द्वारा चोटें पहुंचाई गयी। यह मैं नहीं बता सकता कि मृतक घटना के वक्त एल्कोहल पिया था या नहीं। अमाशय में कोई एल्कोहल नहीं पाया गया था। मरने से तीन से चार घंटे पहले मृतक ने खाना खाया होगा। एक चोट हार्ड आब्जेट से आ सकती है। शरीर पर अकड़न मरने से 36 घंटे बाद समाप्त हो जाती है। शव विच्छेदन के समय मृतक के

शरीर के निचले हिस्से में अधिक रूप से अकड़न मौजूद थी। मृतक की मृत्यु उसके शरीर पर पहुंचाई गयी चोटें के कारण हुई थी। इन चोटों से उसका दम घुट गया था।

22— पी0डब्लू0—10 बृजेश कुमार यादव, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''मैं कृषि करता हूं। घटना 2006 की है। हम व बैजनाथ प्रधान साथ में रहते थे। उमरभारी (मड़ियांव) में त्रिलोकी यादव के खेत में एक लड़के की लाश मिली थी। वहां पर बहुत लोग थे। मैं भी प्रधान के साथ लाश देखने गया था। लड़के की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तब एस०ओ० साहब ने सबसे पूछा, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया। पांच लोगों को एस०ओ० साहब ने पंच बनाया था, उसमें मैं भी था। पंचो की राय में लाश का पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता चल रहा था। लाश के गले पर माफलर था। उसे हटाकर देखा गया तो नीला निशान पड़ा था। एस०ओ० साहब ने हम सबके सामने पंचायतनामा लिखा था और पढ़कर सुनाया था और उस पर हमने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पंचायतनामा ए—12 शामिल पत्रावली है। साक्षी को दिखाया तो साक्षी ने कहा कि वह मेरे हस्ताक्षर हैं जिसे मैं तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क—3 डाला गया है। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।'' **प्रतिपरीक्षा में साक्षी** कथन किया है कि कितने बजे पहुंचा था। समय याद नहीं है। दिन था। पंच मे मैं, रामनरेश इत्यादि थे। पांच लोगो ने हस्ताक्षर किया था। लाश की शिनाख्त नहीं हो रही थी। एसओ साहब जो मड़ियांव थाने के थे। उन्होने पंचायतनामा हम लोगो के सामने भरकर हमारे हस्ताक्षर कराये थे। ऐसा नहीं है कि भरा था। रामनरेश और बैजनाथ का नाम याद है। बाकी का नाम याद नहीं है। यह सही है कि पंचायतनामा भरने तक लाश किसकी थी पता नहीं चला था। गोपीचंद कोई गवाह था या नहीं पुरानी बात है याद नहीं है। मृतक के गले से मोफलर हटाकर दिखाया तो नीले रंग का निशान था जो कि एसओ साहब ने दिखाया था। पंचायतनामे में यह लिखा था कि पंचो की सहमति से लाश पोस्टमार्टम के लिये जाये। मैं पढ़कर बता सकता हूं कि इसमें पंचनामा में क्या लिखा है। गवाह को पंचायतनामा दिखाया गया तो कहा कि पंचायतनामा की महीन लिखावत को नहीं पढ़ सकता मोटी लिखावट को पढ़ सकता हूं। दारोगा जी ने मौके पर ही पूछताछ की थी। बाद में कोई बयान नहीं लिया था। पंचायतनामा के समय कोई मुल्जिम वहां मौजूद नहीं था। पंचायतनामा के अलावा मै कुछ नहीं

जानता।

23– पी0डब्लू0–11 सुरेश कुमार यादव, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''दिनांक–21.01.2006 को मैं कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर थाना मड़ियांव लखनऊ में कार्यरत था। प्रार्थना पत्र रघुवीर प्रसाद पुत्र नन्हे लाल पासी निवासी सिरगामऊ थाना मलिहाबाद लखनऊ के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को प्रार्थनापत्र दिनांक–13.01.2006 को प्रेषित किया गया था। एस०एस०पी० के आदेश पर एफ०आई०आर० करने हेतु थाना मड़ियांव प्राप्त हुई थी, जिस पर एस०ओ० के आदेशानुसार मैंने चिक एफ०आई०आर० नं० 14 / 06 क्राइम नं०–31 / 06, अंतर्गत धारा 147, 302, 201 आईपीसी व 3(2)अ एससी / एसटी ऐक्ट पंजीकृत किया गया था। नकल चिक व नकल एफआईआर विवेचना हेतु सी०ओ० अलीगंज महोदय को भेजी गई थी। इसी समय में मुकदमें का इंद्राज जी०डी नं०–34 समय 16.30 दिनांक–21.01.2006 को अंकित किया था जो शामिल मिसिल पत्रावली पर है तथा मेरे लेख व हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया।'' **प्रतिपरीक्षा में साक्षी** कथन किया है कि यह सही है कि जिस समय मैने चिक एफआईआर पंजीकृत किया था। उस समय वादी मुकदमा नहीं आया था। यह भी सही है कि उक्त मुकदमा पंजीकृत करने के पूर्व थाना मड़ियांव की पुलिस के द्वारा मृतक की लाश बरामद हुयी थी। यह सही है कि आज मैने जो बयान दिया है। पत्रावली से नोट बनाया था। उसी नोट से विवरण नोट कराया। उसी कागज को देखकर मैने बयान दिया। यह सही है कि मैं मूल जीडी नहीं लाया हूं जिससे मिलान करके बयान दिया हो। मैं जो चिक एफआईआर किता किया था। तत्कालीन, थाना प्रभारी के निर्देशानुकार प्रार्थना पत्र के आधार पर किया था।

24– पी0डब्लू0–12 तहसीलदार सिंह, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''मैं दिनांक–01.05.2006 को थाना मड़ियांव में थानाध्यक्ष के पद पर था, उस दिन क्रिमिनल नं०–31 / 06, अंतर्गत धारा 404, 302, 201, 120बी, 147 आईपीसी व 3(2)(5) एससी / एसटी ऐक्ट की विवेचना पूर्व विवेचकों द्वारा संपादित की जा रही थी, उसके स्थानांतरण के बाद विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी / सहायक पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालनार्थ विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गई जिसके उपरांत विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा की गई, उसके बाद मैंने ग्रहण किया और

विवेचना में संकलित सक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।'' **प्रतिपरीक्षा में साक्षी** ने कथन किया है कि अभियुक्त फूलचन्द्र राजू जुग्गी के विरूद्व जो आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। मैं पूर्व विवेचक ने किसका–किसका बयान लिया है। मुझे अभी याद नहीं है। पहला नक्शा नजरी थानाध्यक्ष एन०के०पाण्डेय ने बनाया था। जहां से मृतक की लाश मिली थी। अभियुक्त शत्रोहन द्वारा जो मोटरसाइकिल बरामद कराई थी। उसके फर्द के गवाह कौन थे। ये अब नहीं बता सकता हूं। अभियुक्त शत्रोहन के द्वारा हत्या करने का कबूला था, के संबन्ध में किसी सम्बन्धित एवं सक्षम अधिकारी व मजिस्ट्रेट के सामने 164दं०प्र०सं० का बयान नहीं कराया था।

25– पी0डब्लू0–13 शशि पाण्डेय, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''दिनांक 25.07.2006 को बतौर एस0ओ0, मड़ियांव में कार्यरत था। उसी दौरान मु0अ0सं0 31 / 2006 की विवेचना पूर्व विवेचक द्वारा की जा रही थी। उनके स्थानान्तरण के बाद मेरे द्वारा चार्ज ग्रहण करने के उपरांत मुझे प्राप्त हुई थी। विवेचना के कम में साक्षी द्वारा अभियुक्त शत्रोहन की निशानदेही पर मृतक की मोटर साइकिल बरामद की थी और उसकी फर्द तैयार किया था, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया तथा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।'' **प्रतिपरीक्षा में साक्षी** ने यह कथन किया है कि यह मैं नहीं बता सकता कि मु०अ०सं० 31 / 06, अंतर्गत धारा 147,302,201,404,120बी भा०दं०सं व 3(2) (5) एसस / एसटी एक्ट, थाना–मडियांव में कब कायम किया गया था। उक्त मुकदमे में मृतक का शव मुकदमा पंजीकृत होने से कितने समय पहले बरामद हुआ था। यह मै नहीं बता सकता क्योंकि उस समय मेरे द्वारा विवेचना नहीं की जा रही थी जहां से मृतक का शव बरामद हुआ था, उस स्थान का निरीक्षण मेरे द्वारा नहीं किया गया था। इसलिये मैं नहीं बता सकता कि निरीक्षण किसने किया, मैं सही तारीख नहीं बता सकता कि अभियुक्त शत्रोहन द्वारा न्यायालय में समर्पण के बाद जेल भेजा गया या कितने दिन बाद रिमाण्ड हेतु न्यायालय मे दाखिल दिया था। मुल्जिम को जब मैने न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमे की विवेचना के लिये रिमाण्ड पर लिया था जिसमें अभियुक्त ने बताया कि मृतक की मोटरसाइकिल को मैं बरामद कर सकता हूं, कबूल किया था। इस बात के लिये मैने मुल्जिम का 164 दं०प्र०सं० का बयान नहीं लिया था। यह सही है कि जब अभियुक्त सत्रोहन ने मृतक की मोटरसाइकिल बरामद कराने को कहा था उस समय

मैंने कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बुलाया था जिसके सामने मोटरसाइकिल बरामद की हो। इस बात का जिक्र अपने फर्द बरामदगी में मैने नहीं किया था। मोटरसाइकिल बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। जहां से मेरी विवेचना के दौरान उपरोक्त मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुयी थी। जब मैं मोटरसाइकिल की बरामदगी अभियुक्त के कथनानुसार बरामदगी के लिये गया था। उसमें मैने किसको गवाह बनाया था नाम मुझे याद नहीं है। जहां मैं मोटरसाइकिल बरामद कराने अभियुक्त को ले गया था। वह खेत आदि किसका था मै नहीं बता सकता और अगल बगल जिसका खेत था यह भी नहीं बता सकता हूं। वह जगह आईआईएम रोड से लगा हुआ है। रोड पर आवागमन रहता है। राह चलते किसी को गवाह नहीं बनाया न इसका कारण बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैने थाने में बैठकर सब झूठी कारवाही की है उसमें सत्यता न हो।

26– **पी0डब्लू0–14 इजहार हुसैन खान,** द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''दिनांक–10. 01.2006 को बतौर उपनिरीक्षक थाना मड़ियाव में कार्यरत था। उसी दौरान हस्ब सूचना पर थाना मड़ियांव अज्ञात शव मिलने पर मैं मौके पर कांस्टेबल लाटूराम साहनी के साथ दीगर कागजातों के साथ पहुंचा तो देखा कि त्रिलोकी यादव के गेहूं का खेत, जहां पर मृतक अज्ञात का शव पड़ा है। काफी लोग शव को देखने के लिए आ–जा रहे थे, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। मुझ उपनिरीक्षक द्वारा शव की पहचान न हो पाने के कारण शव को कब्जे में लेते हुए वहां पर मौजूद व्यक्तियों में 5 व्यक्तियों को पंच नियुक्त किया। उनके समक्ष पंचायतनामा भरा एवं पंचायतनामे से संबंधित दीगर कार्यवाही करते हुए पंचो से हस्ताक्षर बनवाये। उपरोक्त पंचायतनामे की कार्यवाही 10.01.2006 को 17.30 पर चालू कर 19.30 पर समाप्त किया। प्रदर्श क–3 को देखकर कहा कि यह वही पंचायतनामा है कि जिसको मेरे द्वारा मौके पर तैयार किया गया था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं तस्दीक करता हूं। पंचायतनामा के समय मेरे द्वारा ही मृतक से संबंधित अन्य प्रपत्र भी तैयार किये गये थे जिसमें फोटोनाश व नमूना प्रपत्र, नमूना मोहर मेरे द्वारा बनाया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया व प्रदर्श क–9 डाला गया व प्रदर्श क–10 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया।'' **प्रतिपरीक्षा में साक्षी** कथन किया है कि मैने पंचान जो नियुक्त किया था, से मृतक के संबन्ध में राय मांगी थी कि कैसे मारा गया तो

किस गवाह ने क्या राय दी थी इस समय मैं नहीं बता सकता। पंचायतनामा में कौन–कौन गवाह नियुक्त थे उनके नाम मुझे याद नहीं है। जिस खेत में अज्ञात मृतक की लाश मिली थी उस खेत के मालिक को बुलाया था या नहीं मैं नही जानता। यह कहना गलत है कि उक्त पंचायतनामा मैंने मौके पर न तैयार किया हो।

27– मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा की।

28– पी0डब्लू0–1 रघुवीर वादी के बयान में आया है कि उसने अपने भाई की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं दी थी, क्योंकि वह शराब पीने का आदी था और अक्सर दो–चार दिन घर से गायब रहता था और बाद में वापस आ जाता था। पी0डब्लू0–1 द्वारा अपने भाई की हत्या के संबंध में दी गयी तहरीर के संबंध में भी यह कथन किया गया है कि उक्त तहरीर प्रधान ने टाइप करके दिया था, जिस पर उसने मात्र अपना नि0 अंगूठा लगाया था। तहरीर में क्या लिखा था, उसे नहीं बताया गया।

29– पत्रावली पर उपलब्ध नकल चिक प्रदर्श क–4 से स्पष्ट होता है कि मामले से संबंधित प्राथिमिकी मु0अ0सं0 31 / 2006, दिनांक 21.01.2006 को धारा 147, 302, 201 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)अ एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट के अपराध के बाबत शत्रोहन, महेश, जुग्गी फूलचन्द्र आदि के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

30– इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मामले से संबंधित प्राथिमिकी, वादी द्वारा दी गयी और तहरीर के आधार पर प्राथिमिकी दर्ज हुई।

31– पत्रावली पर नक्शा नजरी कागज संख्या अ–8 / 7 **प्रदर्श क–11** भी उपलब्ध है, जिसमें वह स्थान जहां मृतक का शव गेहूं के खेत में मिला को अक्षर ''ए'' से दर्शित किया गया है। यह स्थान ग्राम उमरभारी थाना मड़ियाव, लखनऊ के त्रिलोकी के गेंहू के खेत में दर्शाया गया है। नक्शा नजरी की औपचारिक सत्यता को बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन इसके तथ्यों से इंकार किया गया।

32– पी0डब्लू0–10 बृजेश कुमार यादव ने पंचनामा **प्रदर्श क–3** को साबित किया है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मैं कृषि करता हूं। घटना 2006 की है। हम व बैजनाथ प्रधान साथ में रहते थे। उमरभारी (मड़ियांव) में त्रिलोकी यादव के खेत में एक लड़के की लाश मिली थी। वहां पर बहुत लोग थे। मैं भी प्रधान के साथ लाश देखने गया था। लड़के की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तब एस०ओ० साहब ने सबसे पूछा, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया। पांच लोगों

को एस०ओ० साहब ने पंच बनाया था, उसमें मैं भी था। पंचो की राय में लाश का पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण नहीं पता चल रहा था। लाश के गले पर माफलर था। उसे हटाकर देखा गया तो नीला निशान पड़ा था। एस०ओ० साहब ने हम सबके सामने पंचायतनामा लिखा था और पढ़कर सुनाया था और उस पर हमने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। पंचायतनामा ए–12 शामिल पत्रावली है। साक्षी को दिखाया तो साक्षी ने कहा कि वह मेरे हस्ताक्षर हैं जिसे मैं तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।''
प्रतिपरीक्षा में साक्षी कथन किया है कि पंच मे मैं, रामनरेश इत्यादि थे। पांच लोगो ने हस्ताक्षर किया था। लाश की शिनाख्त नहीं हो रही थी। एसओ साहब जो मड़ियांव थाने के थे। उन्होने पंचायतनामा हम लोगो के सामने भरकर हमारे हस्ताक्षर कराये थे। ऐसा नहीं है कि भरा था। रामनरेश और बैजनाथ का नाम याद है। बाकी का नाम याद नहीं है। यह सही है कि पंचायतनामा भरने तक लाश किसकी थी पता नहीं चला था। गोपीचंद कोई गवाह था या नहीं पुरानी बात है याद नहीं है। मृतक के गले से मफलर हटाकर दिखाया तो नीले रंग का निशान था जो कि एसओ साहब ने दिखाया था। पंचायतनामे में यह लिखा था कि पंचो की सहमति से लाश पोस्टमार्टम के लिये जाये। गवाह को पंचायतनामा दिखाया गया तो कहा कि पंचायतनामा की महीन लिखावट को नहीं पढ़ सकता मोटी लिखावट को पढ़ सकता हूं। दारोगा जी ने मौके पर ही पूछताछ की थी। बाद में कोई बयान नहीं लिया था। पंचायतनामा के समय कोई मुल्जिम वहां मौजूद नहीं था। पंचायतनामा के अलावा मै कुछ नहीं जानता।

33– पी0डब्लू0–14 इजहार हुसैन खान, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि ''दिनांक–10. 01.2006 को बतौर उपनिरीक्षक थाना मड़ियाव में कार्यरत था। उसी दौरान हस्ब सूचना पर थाना मड़ियांव अज्ञात शव मिलने पर मैं मौके पर कांस्टेबल लाटूराम साहनी के साथ दीगर कागजातों के साथ पहुंचा तो देखा कि त्रिलोकी यादव के गेहूं का खेत, जहां पर मृतक अज्ञात का शव पड़ा है। काफी लोग शव को देखने के लिए आ–जा रहे थे, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। मुझ उपनिरीक्षक द्वारा शव की पहचान न हो पाने के कारण शव को कब्जे में लेते हुए वहां पर मौजूद व्यक्तियों में 5 व्यक्तियों को पंच नियुक्त किया। उनके समक्ष पंचायतनामा भरा एवं पंचायतनामे से संबंधित दीगर कार्यवाही करते हुए पंचो से हस्ताक्षर बनवाये। उपरोक्त

पंचायतनामे की कार्यवाही 10.01.2006 को 17.30 पर चालू कर 19.30 पर समाप्त किया। प्रदर्श क–3 को देखकर कहा कि यह वही पंचायतनामा है कि जिसको मेरे द्वारा मौके पर तैयार किया गया था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं तस्दीक करता हूं। पंचायतनामा के समय मेरे द्वारा ही मृतक से संबंधित अन्य प्रपत्र भी तैयार किये गये थे जिसमें फोटोनाश व नमूना प्रपत्र, नमूना मोहर मेरे द्वारा बनाया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया व प्रदर्श क–9 डाला गया व प्रदर्श क–10 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया।'' **प्रतिपरीक्षा में साक्षी** कथन किया है कि मैने पंचान जो नियुक्त किया था, से मृतक के संबन्ध में राय मांगी थी कि कैसे मारा गया तो किस गवाह ने क्या राय दी थी जिस समय मैं नहीं बता सकता। पंचायतनामा में कौन–कौन गवाह नियुक्त थे उनके नाम मुझे याद नहीं है। जिस खेत में अज्ञात मृतक की लाश मिली थी उस खेत के मालिक को बुलाया था या नहीं मैं नही जानता। यह कहना गलत है कि उक्त पंचायतनामा मैंने मौके पर न तैयार किया हो।

34– साक्षी संख्या 10 के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लाश को देखा गया था और थाना मड़ियांव के एस0ओ0 अभियोजन साक्षी संख्या 14 द्वारा पंचायतनामा भरा गया था, जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये। मृतक की लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी।

35– इसी प्रकार **पी0डब्लू0–6 राम नरेश** ने कथन किया है कि ''घटना 15–16 साल पहले की है। त्रिलोकी का खेत मड़ियांव क्षेत्र में है। हमें पता चला कि वहां त्रिलोकी के खेत में लाश पड़ी है। मैं भी वहीं देखने गया था। किसी ने लाश को वहां पहचाना नहीं था। हमारे सामने पुलिस ने लिखा पढ़ी नहीं की थी। बाद में एक कागज पर मेरे दस्तखत करा लिये थे।'' **जिरह** में साक्षी ने कथन किया है कि पंचायतनामा लिखते समय यह नहीं मालूम हो पाया था कि शव किस व्यक्ति है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। बयान लेने वाले दरोगा विवेचनाधिकारी थे। पंचायतनामा भरते समय मुझसे कोई राय नहीं ली गयी।

36– इस साक्षी के बयानों से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा मात्र पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर किये थे, वह मृतक को पहचानता नहीं था और न ही उसकी हत्या के संबंध में उसे कोई जानकारी थी।

37– साक्षी **पी0डब्लू0–8 गोपी चन्द्र** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि

लगभग 8 साल पहले जनवरी के महीने में त्रिलोकी यादव के खेत में एक अज्ञात पुरुष की शव के पड़े होने की सूचना पर मैं भी वहीं गया था। काफी लोग जमा थे कोई भी शव को पहचान नहीं सका था। मड़ियांव थाने के दरोगा जी ने शाम के अंधेरे में पेट्रोमैक्स की रोशनी में पंचायतनामा मेरे व अन्य पंचों के सामने लिखा था। मुझे भी पंच बनाया था। पंचायतनामा पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा पत्रावली में मेरे सामने हैं। मैं अपने हस्ताक्षर तस्दीक करता हूं।'' **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया है कि पंचायतनामा लिखने समय यह नहीं मालूम था कि शव किस व्यक्ति है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिखा था। बयान लेने वाले दरोगा, विवेचनाधिकारी थे। पंचायतनामा भरने में कितने दिन बाद बयान लिया था मुझे नहीं मालूम। पंचायतनामा भरते समय मुझसे कोई राय नहीं ली गयी थी। इस साक्षी के बयान से मात्र इतना ही स्थापित होता है कि मृतक किशन की लाश त्रिलोकी के खेत में मिली थी, परंतु मृतक को कोई पहचानता नहीं था और उक्त अज्ञात शव का पंचायतनामा उनके समक्ष भरा गया था और उस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।

38– पंचनामा प्रदर्श क–3 में मृतक के शव की स्थिति दर्शित है। साथ ही यह भी उल्लिखित है कि पंचों की राय में मृतक किशन की मृत्यु का सही कारण जानने के लिये मरणोत्तर परीक्षण कराया जाना आवश्यक हैं। निर्णय विधि–**सुरेश राय व अन्य बनाम बिहार राज्य 2000 सी0आर0एल0जे03457 (एस0सी0)**के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि पंचायतनामा प्रथम दृष्टया चोटों की प्रकृति, सम्भावित हथियार, जिससे चोटें कारित की गई है और सम्भावित मृत्यु का कारण जानने के लिए तैयार किया जाता है। निर्णय विधि **मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य 2017 सी.आर.एल.जे.418(सु0को0)** में दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि पंचनामा/मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही का मात्र उद्देश्य इस तथ्य का समाधान करना है कि क्या मृतक की मृत्यु किसी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है या वह एक अप्राकृतिक मृत्यु तो नहीं है।यदि हॉ तो मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण क्या है? इसी प्रकार निर्णय विधि **योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह 2017 सी.आर.एल.जे.291(सु0को0)** में भी दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एक स्वनिश्चित साक्ष्य नहीं है। ऐसी रिपोर्ट के तैयार करने का मात्र उद्देश्य मृतक की मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण का समाधान करना है। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि पंचायतनामे के उपरोक्त साक्षीगण ने सर्वसहमति से यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु

का कारण जानने के लिये मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है।

39– उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक के शव का फोटोनाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0 व प्रारूप संख्या 13 बनाया गया और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया।

40– पी0डब्लू0–9 डा0 रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** को अपने सशपथ बयान से साबित किया है और मृत्यु का कारण। Death due to asphyxia as a result of antimortam Strangulation बताया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह के दौरान उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के कथन की पुर्नावृत्ति करते हुए कथन किया है कि मृतक की मृत्यु डेढ दिन पहले हो चुकी थी। यह मैं नहीं बता सकता कि मृतक घटना के वक्त एल्कोहल पिया था या नहीं। अमाश्य में कोई एल्कोहल नहीं पाया गया। इस प्रकार इस साक्षी ने मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम की दिनांक से डेढ दिन पहले होना बताया है। मरणोत्तर परीक्षण आख्या में पोस्ट मार्टम प्रारम्भ करने का दिनांक–11.01.2006 को 04.00 पी0एम0 पर किया जाना उल्लिखित है। इस प्रकार मरणोत्तर परीक्षण आख्या एवं पी0डब्लू0–9 डा0 रवीन्द्र कुमार गुप्ता के सशपथ बयान के आधार पर साबित है कि मृतक की मृत्यु दिनांक–11.01.2006 से डेढ दिन पहले पहले अर्थात 10.01.2006 को सुबह लगभग 04.00 बजे के आस–पास हुई। मृतक किशन की मृत्यु आसामान्य एवं अस्वाभाविक थी। मृत्यु पूर्व कारित की गयी चोटों (Stargulation) से हुई है।

41– प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण को अपराध कारित करने वालों में नामित किया गया है, लेकिन प्राथिमिकी में यह नहीं आया है कि मृतक को जीवित अवस्था में अभियुक्तगण के साथ वादी अथवा किसी अन्य साक्षी ने अंतिम बार देखा हो ।

42– मृतक के जीवित अवस्था में अंतिम बार देखे जाने के संबंध में निर्णय विधि **धर्मबीर उर्फ परमवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2005 इलाहाबाद दण्ड निर्णय 152, गोलकण्डा वेक्टेश्वार्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2003 एस0सी0सी0 277 (एस0सी0), अमित उर्फ अमू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003 एस0सी0सी0 94, (एस0सी0), सहदेव उर्फ सगादेवन बनाम स्टेट एवं अन्य 2003 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) 382, जगरूप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (2013) 1 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) 1136** में यह व्यवस्था दी गई है कि मृतक का आखिरी बार में अभियुक्त के साथ देखे जाने का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। बाद मे क्या हुआ ? यह दिखाने का भार अभियुक्त पर

है। यदि अन्तिम बार अभियुक्त को मृतक के साथ देखने का साक्ष्य उपलब्ध है तथा ग्राम के साक्षियों की साक्ष्य में यदि कोई भिन्नता भी है तो भी अभियोजन पक्ष प्रभावित नहीं होगा। यदि यह साक्ष्य उपलब्ध है कि अभियुक्त व मृतक को अन्तिम बार एक साथ देखा गया है तो यह दायित्व अभियुक्त का है कि वह अपने धारा–313 द0प्र0स0 के कथन में यह स्पष्ट करें कि मृतक की मृत्यु किस प्रकार हुई। यदि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्ष्य से यह सिद्ध करता है कि गायब हुए व्यक्ति को अभियुक्त के पास अन्तिम बार देखा गया है और उसके पश्चात उसे कभी नहीं देखा गया है तो यह अभियुक्त के लिए अनिवार्य है कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे, जिनमें, वह और गायब व्यक्ति अलग अलग हुए हैं।

43– निर्णय विधि **स्टेट गोवा बनाम पांडू रंग मोहिते ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 1066, रामरेडडी राजेश खन्ना रेडडी बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश (2006)10 एस0सी0सी0 172, स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम सतीश (2005) 3 एस0सी0सी0 114, सरदार खॉ बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2004) 2 एस0सी0सी0 442 एवं मोहिबुर्र रहमान बनाम स्टेट ऑफ आसाम (2002)2जे0आई0सी0 972 (एस0सी0)** के मामलो में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अन्तिम बार साथ साथ देखे जाने की परिस्थितियॉ स्वयं ही और आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष नहीं देती है कि अभियुक्तगण ने ही अपराध कारित किया है। अभियुक्त को अपराध से सम्बन्धित करने के लिए कुछ और परिस्थितियों साबित होनी आवश्यक है। जीवित रूप में अन्तिम बार साथ साथ देखे जाने तथा मृतक के शव की बरामदगी के मध्य समय इतना कम होना चाहिए कि अभियुक्त के अलावा अन्य व्यक्ति के बीच में आने की सम्भावना एकदम क्षीण हो ।

44– परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में निर्णय विधि **शरद विरधीचन्द सारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1984)4 एस0सी0सी0 116, प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2013 सीआर0एल0जे0 2040, शंकर किसनराव खडे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्री 2013 सीआर0एल0जे0 2595 एवं सुजीत विश्वास बनाम स्टेट ऑफ आसाम 2013 (82) ए0सी0सी0 467** में माननीय न्यायालयों ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित पॉच सिद्वान्त प्रतिपादित किए है –

1. वे परिस्थितियॉ, जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है–पूर्ण रूप से सिद्ध होनी चाहिए ।

2. इस प्रकार से सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की उपधारणा के अनुरूप होनेचाहिए ।

3. परिस्थितियॉ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए ।

4. उनके द्वारा सिद्ध की जाने वाली सम्भावित उपधारण के अलावा अन्य प्रत्येक उपधारणा वहिष्कृत होनी चाहिए ।

5. साक्ष्य की श्रृंखला इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे कि इसके द्वारा अभियुक्त के निर्दोष होने के संगत कोई निष्कर्ष का युक्ति–युक्त आधार न रहे और उससे यह अवश्य प्रकट होना चाहिए कि समग्र मानवीय सम्भावनाओं के, कार्य अभियुक्त द्वारा और अकेले अभियुक्त द्वारा किया गया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य जंजीर की विभिन्न कडियों से मिलकर बनता है, जो यदि पूरी हो तो इस अंसदिग्ध परिणाम पर पहुॅचती हो कि अभियुक्त और केवल अभियुक्त ही, वह अपराध कर सकता था, जिसका आरोप उस पर लगाया गया है।

45– उपरोक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता है कि पी0डब्लू0–1 रघुवीर ने अपने सशपथ बयान में मुख्य परीक्षा के दौरान प्राथमिकी में किये गये कथन को समर्थित नहीं किया है और यह भी कहा है कि '' मेरे भाई की हत्या किसने किया यह जानकारी मुझे आज तक नहीं है।'' जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि ''तहरीर मुझे पढ़कर सुनाई नहीं गई थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूॅ। **तहरीर में मेरे छोटे भाई किशन को दिनांक 09.01.2006 को दिन में 01.00 बजे प्रार्थी के गांव के शत्रोहन की पत्नी द्वारा अपने घर बुलाया गया और बबली को उसके ननिहान मानखेड़ा से बुला कर लाने के लिए मोटर साइकिल से भेजने व प्रार्थी के भाई की हत्या शत्रोहन व उसकी पत्नी की साजिश से शत्रुधन के साले राजू, महेश, जुग्गी व फूलचन्द्र नि0 मानखेडा ने करके लाश को व मोटर साइकिल को गायब कर दिये, वाली बात कैसे लिखी है। यह बात नहीं बता सकता हूॅ, क्योंकि मैंने यह बात नहीं लिखाई थी।** आगे जिरह में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि **मैंने किसी के खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करायी थी, न ही कोई तहरीर दी थी। मेरी व मेरे भाई की गांव में किसी`स कोई रंजिश नहीं है।**

46– इस साक्षी के उक्त बयान में यह नहीं आया है कि मृतक अपने घर से अभियुक्तगण के साथ गया था न ही इस साक्षी ने ऐसा कोई कथन किया है कि

मृतक के गायब होने और उसके शव के बरामद होने के मध्य किसी भी समय उसने अथवा अन्य साक्षी ने मृतक को अभियुक्तगण के साथ देखा हो। इस दृष्टि से इस साक्षी के द्वारा दिये गये उपरोक्त बयान के आधार पर आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता संदिग्ध है। इस साक्षी ने तहरीर की अंर्तवस्तु को न तो साबित किया है और न ही अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई को दिनांक 09.01.2006 को षड़यंत्र के अंतर्गत बुलाने, उसे मानखेड़ा बबली को लाने आदि तथ्यों की पुष्टि की है।

47– अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्यात्मक साक्षी **पी0डब्लू0–2** राम आसरे, जो मृतक भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान मुख्यतः यह कहा है कि मेरे भाई का शव मेडिकल कालेज में चीर घर में पड़ी होने की सूचना मिलने पर मैं व मेरा भाई तथा परिवार के लोग गये। वहां पर शव का पहचान किये तो वहां लाश मेरे भाई की थी। मुझे यह नहीं पता है कि मेरे भाई की हत्या राजू, जुग्गी, फूलचन्द्र व महेश ने ही किया था। इन लोगों से मेरे भाई की कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे भाई की हत्या किन लोगों ने किया तथा क्यों किया, मुझे जानकारी नहीं है।'' **जिरह** में साक्षी द्वारा कथन किया गया कि शत्रोहन की बीवी सावित्री ने मेरे भाई को मानखेड़ा नहीं भेजा था तथा मैंने भी अपने भाई को मानखेड़ा नहीं भेजा था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना कैसे घटी तथा किसके द्वारा की गयी। इस साक्षी के उपरोक्त बयान में स्पष्ट रूप से यह नहीं आया है कि दिनांक 09.01.2006 को जब मृतक गायब हुआ तब उसने उसे अभियुक्तों के साथ जाते हुए देखा हो। उसने इस तथ्य की जानकारी होने से भी इंकार किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके भाई मृतक किशन की हत्या की है।

48– अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य तथ्यात्मक साक्षी पी0डब्लू0–3 राजू, पी0डब्लू0–4 राम औतार व पी0डब्लू0–5 दुर्गा प्रसाद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्टतः कथन किया है कि वे मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा मृतक किशन की हत्या करते हुए नहीं देखा है। यहां तक यह भी कथन किया है कि वे अभियुक्तगण को जानते पहचानते भी नहीं हैं।

49– पी0डब्लू0–7 सुखीलाल द्वारा साक्ष्य दिया है कि घटना आज से 16–17 पहले की है। मैं मृतक किशन को गांव में रहने नाते जानता हूँ। किशन की हत्या हुई थी। दिनांक 09.01.2006 को जिस दिन घटना घटित हुई है उस दिन हम बाजार गये थे।

वहां से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन तीनों मुल्जिमानों को देखा था। पूछा कि यहां क्या कर रहे हो। किशन से हमारी मुलाकात होती रहती थी। घटना वाले दिन मुल्जिमानों के साथ किशन मुझे मिले थे। हम लोग अपने घर चले आये। बाद में पता चला कि किशन की हत्या हो गयी है। शत्रोहन को मैं जानता हूं, क्योंकि वह भी गांव के रहने वाले है। बाद में पता चला कि शत्रोहन व उसकी पत्नी किशन पर शक करते थे कि उनकी लड़की से अवैध संबंध है, इसी कारण मुल्जिमानों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।'' **जिरह** में साक्षी ने कथन किया है कि उक्त घटना में मैंने किसी मुल्जिम को मारते पीटते नहीं देखा। किसने किसको मारा, मैं नहीं जानता न मैंने कोई घटना देखी न ही मैंने दरोगा जी को कोई बयान दिया था और मुख्य परीक्षा में मुल्जिमानों को मृतक के साथ देखने वाली बात इस साक्षी ने नहीं लिखवाया है।

50– इस प्रकार इन साक्षीगण के बयान से भी आरोपित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नहीं है।

51– अभियोजन की ओर से किसी भी अन्य तथ्यात्मक साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

52– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी0डब्लू0–11** सुरेश कुमार यादव के द्वारा मामले की चिक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

53– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0–12** तहसीलदार सिंह के द्वारा अभियुक्तगण जुग्गी, फूलचन्द्र व राजू के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस साक्षी ने प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है।

54– **पी0डब्लू0–13** शशि पाण्डेय, द्वारा अभिसाक्ष्य दिया है कि विवेचना के क्रम में साक्षी द्वारा अभियुक्त शत्रोहन की निशानदेही पर मृतक की मोटर साइकिल बरामदगी का प्रयास किया और उसकी फर्द तैयार किया था, जिसे प्रदर्श क–6 तथा बरामदगी स्थल के नक्शा नजरी को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।'' लेकिन इस साक्षी के अनुसार दर्शित स्थल से अभियुक्त शत्रोहन द्वारा बरामदगी नहीं करायी जा सकी, क्योंकि मोटर साइकिल वहां नहीं मिली।

55– उक्त दोनों साक्षीगण औपचारिक साक्षी है और उनका परिसाक्ष्य सम्पुष्टि साक्ष्य की श्रेणी में है।

56– अभियोजन की ओर से किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

57– अभियुक्तगण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में स्वयं को झूठा आलिप्त किया जाना कहा है।

58– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह बहस की गयी कि अभियुक्तगण के पास मृतक किशन की हत्या करने का पर्याप्त हेतुक साबित है।

59– बचाव पक्ष द्वारा इस तर्क का खण्डन करते हुए अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

60– हेतुक के संबंध में निर्णय विधि **सखाराम बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 1992 सी0आर0एल0जे0 861 (एस0सी0), नथुनी यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार राज्य (1998)9 एस0सी0सी0 238, स्टेट ऑफ एच0पी0 बनामजीत सिंह (1999)4 एस0सी0सी0 370** एवं **रविन्द्र कुमार बनाम स्टेट आफ पंजाब 2001 (2) जे0आई0सी0 981 एस0सी0** में यह अवधारित किया गया है कि जहां पर अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो वहां पर उसको हेतुक को भी साबित करना चाहिए। यदि हेतुक साबित हो जाता है तो वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी होता है। लेकिन यदि अभियोजन पक्ष हेतुक को साबित नहीं कर पाता है तो केवल यह अभियोजन कथानक को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।

61– उक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि हेतुक, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक कड़ी होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में हेतुक का विवरण दर्शित नहीं किया गया है। इसी प्रकरण में मृतक किशन के भाई पी0डब्लू0–1 रघुवीर ने प्राथिमिकी में मात्र इतना कहा है कि अभियुक्त शत्रुहन की पत्नी मृतक किशन को बुलाकर कर ले गयी थी और उससे अपनी पुत्री बबली को उसके ननिहाल से लाने के लिए भेजा था और वह वापस नहीं आया और थाना मड़ियाव के क्षे में उसकी लाश मिली और उसे विश्वास है कि अभियुक्तगण द्वारा साजिश के तहत मृतक की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से लाश को फेंक दिया गया और उसकी मोटर इसाकिल हीरोहॉण्डा को गायब कर दिया, किन्तु पी0डब्लू0–1 ने अपने सशपथ साक्ष्य में कहा है कि उसने यह तहरीर में नहीं लिखाया था कि शत्रोहन की पत्नी किशन को बुलाकर ले गयी थी या अभियुक्त ने षड़यंत्र करके किशन की हत्या कर दी। तहरीर में क्या

लिखा था, उसे बताया नहीं गया। इसी प्रकार पी0डब्लू0–2 जो मृतक का भाई है उसने भी कहा है कि शत्रोहन की बीवी सावित्री ने मृतक को मानखेड़ा नहीं भेजा था न ही इस साक्षी ने अपने भाई को मानखेड़ा भेजा था। मृतक किशन के अवैध संबंध शत्रोहन की पुत्री बबली से होने के आधार पर अभियोजन द्वारा मृतक की हत्या करने का हेतु दर्शाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अनुचित संबंध के उक्त हेतुक को **पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2** द्वारा साबित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के किसी साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक किशन की हत्या कारित कर लाश को त्रिलोकी के खेत में फेंक दिया गया है।

62– साक्ष्य की उपरोक्त संवीक्षा व चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। सम्पूर्ण साक्ष्य इस ओर इंगित करते हैं कि मृतक की रहस्यमय तरीके से हत्या की गयी, किन्तु मृतक किशन के साथ अभियुक्तगण को जीवित अवस्था में अंतिम रूप से मानखेड़ा जाने के तथ्य को किसी भी साक्षी ने पुष्ट नहीं किया है न ही मृतक को देखे जाने संबंधी कोई साक्ष्य है।

63– जहां तक अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त की निशानदेही पर मोटर साइकिल की बरामदगी स्थल पर अभियुक्त द्वारा ले जाया गया है, परंतु अभियोजन की ओर से साबित करायी गयी फर्द बरामदगी प्रदर्श क–6 के अवलोकन से पाया गया कि अभियुक्त शत्रोहन के द्वारा बरामदगी स्थल से कोई भी मोटर साइकिल बरामद नहीं कराई गयी है, इससे स्पष्ट है कि मृतक को जिस मोटर साइकिल से मानखेड़ा जाना बताया गया है, उसे अभियोजन खोज पाने में असमर्थ रहा है। इससे आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता स्थापित नहीं होती है। जितने भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये गये अर्थात दिनांक 09.01.2006 को मृतक का अपने घर से जाना और उसके शव का दिनांक 11.01.2006 को बरामद होने तक के घटना क्रम की समस्त कड़ियॉ बिखरी हुई हैं। घटना क्रम की परिस्थितियों के सम्बन्ध में ऐसे निर्णायक परिस्थितिजन्य साक्ष्य की जंजीर प्रारूपित नहीं होती हैं जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता हो कि अभियुक्तगण ने ही मृतक की हत्या की हो और उसके शव को अन्य जगह फेंक दिया हो।

64– चूॅकि अभियुक्तगण के द्वारा मृतक की हत्या करना ही साबित नहीं है, ऐसी दशा में साक्ष्य के लुप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभियोजन की ओर

से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण ने मृतक की हत्या करके साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से उसकी लाश को त्रिलोकी के खेत में फेंका हो अथवा अन्य कोई साक्ष्य लुप्त किया हो। साथ ही अभियोजन मृतक की मोटर साइकिल भी अभियुक्तगण के कब्जे से या निशानदेही से बरामद करने में असफल रहा है।

65– अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को सिद्ध करें। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गयें साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के मस्तिष्क में यदि अभियुक्त के पक्ष में उसकी आपराधिकता के संदर्भ में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि क्या उसने अपराध किया है? तो इस संदेह का लाभ पाने के लिये वह अधिकृत होगा और दोषमुक्त किये जाने योग्य होगा। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की आपराधिकता के संदर्भ में यह संदेह उत्पन्न होता है कि उसने अभियोजन कथानक के अनुसार कथित अपराध कारित किया है? निर्णय विधि **सुजीत बिस्वास बनाम स्टेट ऑफ आसाम 2013 सी आर0एल0जे0 3140 एस0सी0** में यह व्यवस्था दी गई है कि फौजदारी मामले में संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता। यदि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ ऐसी मॉग करती हो तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। निर्णय विधि **योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह एवं अन्य 2016(97) ए.सी.सी. 993** में निर्णय विधि **काली राम बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ए0आई0आर0 1973 एस0सी0 2773** , **राजस्थान राज्य बनाम राजाराम 2003(47) ए.सी.सी.635 सु0को0, चन्द्रप्पा एव अन्य बनाम कर्नाटका राज्य 2007(58) ए. सी.सी.402 सु0को0, उपेन्द्र प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य 2015(90) ए.सी.सी.345 सु0को0 एवं गुलबार हुसैन एवं अन्य बनाम आसाम राज्य व एक अन्य 2015(90) ए.सी.सी.267 सु0को0** का उल्लेख करते हुये यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि मामले में प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर दो मत सम्भव हो, एक जो अभियुक्त की दोष की ओर इंगित करता हो और दूसरा उसके निर्दोष होने की ओर, तो वह मत जो अभियुक्त के पक्ष में हो, को अपनाना चाहिए।

66– जहॉतक धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट के मामले का प्रश्न है। धारा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट में यह प्रावधानित किया गया है कि *''भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास*

से दंडनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है), वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा''।

67– इस तरह स्पष्ट है कि धारा 3(2)(v) एस.सी. / एस.टी. ऐक्ट के तहत अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा इस तथ्य को स्थापित करना होगा कि अभिकथित अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय हो तथा जिस व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध वह अपराध कारित किया गया है वह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। जहां तक प्रश्नगत प्रकरण का प्रश्न है प्रश्नगत प्रकरण में जैसा कि ऊपर विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि इस मामले में अभिकथित घटना वाले दिन समय व स्थान पर मुल्जिमान द्वारा वादी मुकदमा रघुवीर, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, के भाई किशन की षड़यंत्र के तहत हत्या कारित कर दी और साक्ष्य विलोपित के उद्देश्य से उसकी लाश को त्रिलोकी के खेत में फेंक दिया, का आरोप है, से **संबंधित आरोपित अपराध परीक्षित साक्षीगण के अभिसाक्ष्य से साबित होना नहीं पाया जाता है।** अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अपराध अंतर्गत धारा 3(2)(v) एस.सी. / एस.टी. ऐक्ट साबित होना नहीं पाया जाता है।

68– इस प्रकरण में अभियोजन उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0–1 रघुवीर, पी0डब्लू0–2 राम आसरे, पी0डब्लू0–3 राजू, पी0डब्लू–4 राम औतार व पी0डब्लू0–5 दुर्गा प्रसाद एवं अन्य साक्षीगण के परिसाक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित नहीं कर पाया है कि दिनांक 09.01.2006 को अभियुक्त शत्रोहन की पत्नी सावित्री द्वारा साजिश के तहत अनुसूचित जाति के वादी रघुवीर के भाई मृतक किशन को मानखेड़ा भेजा गया हो और अभियुक्तगण के द्वारा मृतक किशन की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से लाश को अन्यत्र कहीं फेंक दिया गया। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

69– अतः उपरोक्त चर्चा के आलोक में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्तगण राजू, जुग्गी, महेश, शत्रोहन व श्रीमती सावित्री के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 302 / 149, 201, 404, 120बी भा0दं0सं0

भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)v एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं है।

आदेश

70– अभियुक्तगण राजू व जुग्गी को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप दण्डनीय अन्तर्गत धारा 302 / 149, 201, 404, 120बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)v एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट और अभियुक्तगण महेश, शत्रोहन व श्रीमती सावित्री को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप दण्डनीय अन्तर्गत धारा 147, 302 / 149, 201, 404, 120बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)v एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट से दोषमुक्त किया जाता हैं।

71– अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंध पत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

72– अभियुक्तगण राजू, जुग्गी, महेश, शत्रोहन व श्रीमती सावित्री द्वारा अपील होने की अवस्था में अपीलीय न्यायालय में उपसंजात होने हेतु धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0 25,000 / – 25,000 / – रूपये के दो–दो प्रतिभू व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल कर दिया है।

73– वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो तो अपील की अवधि तक सुरक्षित रखी जाये , अपील होने की स्थिति में उनका निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाये।

74– इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 1159 / 2006 पर भी रखी जाये।

(नीतू पाठक)
दिनॉक : 30.07.2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0(पी0ए0) ऐक्ट / लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6198

75– निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नीतू पाठक)
दिनॉक : 30.07.2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0(पी0ए0) ऐक्ट / लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6198

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.08.11 17:36:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court